सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – एस॰एस॰वि॰वि॰/कु॰स॰4459/2021 दिनाङ्क 16 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण/निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.01.2021 के कार्यवृत्त सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-65/सत्तर-3-2021 दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा अधोलिखित बिन्दुओं पर क्रियान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है –

1. मुख्य विषयों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया। अन्य पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञ का चयन सम्बन्धित संकाय के एंकर अपनी समिति के सहयोग से करेंगे तथा उसकी सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेंगे।
2. अद्यतन बनाये गये स्नातक स्तर के सभी विषयों एवं अनिवार्य कोर्स के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक अपने सुझाव दे सकें। प्राप्त सुझावों को राज्य समिति एवं सम्बन्धित एंकर को उपलब्ध करा दिया जायेगा। एंकर सम्बन्धित विषय के विषय-विशेषज्ञ से चर्चा कर आवश्यक सुझावों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेंगे तथा पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देकर राज्य समिति को 31 जनवरी तक उपलब्ध करायेंगें।
3. सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ सम्बन्धित विषय की भारतीय ज्ञान परम्परा से सम्बन्धित रखा जायेगा। उदाहरण के लिए गणित में रामानुजम, आर्यभट्ट इंजीनियरिंग में विश्वेश्वरैया, वनस्पति विज्ञान में जे.सी. बोस आदि।
4. सभी पाठ्यक्रम की रेफरेंस लिस्ट में हिन्दी लेखकों की पुस्तके भी जोड़ी जाये, जिससे छात्रों को द्विभाषी पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके।
5. स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा दिया जाय, जिसके लिए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में रिसर्च अरियेटेंशन को जोड़ा जाय तथा तृतीय वर्ष में प्रोजेक्ट वर्क रखा जाय।
6. अपनी भाषा में शोध कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाय तथा शोध कार्य से सम्बन्धित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल 50-50% होना चाहिए।
7. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं राज्य समिति ने मैनेजमेंट विषय के विषय विशेषज्ञों के साथ अलग बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिससे मैनेजमेंट के विषय भी मल्टीडिसीप्लिनरी आधार पर बने तथा उनकी संरचना भी मूल विषयों के समान हो जाए ताकि छात्र आसानी से एक दूसरे के विषय चुन सके।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
02. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि समस्त शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
04. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
05. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों को इस आशय से कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
06. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ज्ञाप को विश्वविद्यालयीय वेब-साइट पर अपलोड एवं समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों को उनके लॉगिन आई॰डी॰ के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें।
07. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
08. अधीक्षक, सामान्यानुभाग
09. जनसम्पर्क अधिकारी।
10. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

AR(Admn)
May be circulated among teachers. br.
08/01/21

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण/निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.01.2021 का कार्यवृत्त।

दिनांक 05-1-2021 को श्रीमती मोनिका एस० गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण/निर्धारण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पाठ्यक्रम निर्धारण में आ रही समस्याओं एवं संस्थाओं का समाधान किया गया। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों से समिति के सदस्यों को अवगत कराया तथा उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया गया।बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा संपन्न हुई –

1. मुख्य विषयों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया । अन्य पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञ का चयन संबंधित संकाय के एंकर अपनी समिति के सहयोग से करेंगे तथा उसकी सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएंगे ।
2. अद्यतन बनाए गए स्नातक स्तर के सभी विषयों एवं अनिवार्य कोर्स के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षक अपने सुझाव दे सकें। प्राप्त सुझावों को राज्य समिति एवं संबंधित एंकर को उपलब्ध करा दिया जाएगा । एंकर संबंधित विषय के विषय-विशेषज्ञ से चर्चा कर आवश्यक सुझावों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेंगे तथा पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देकर राज्य समिति को 31 जनवरी तक उपलब्ध करायेंगे।
3. सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रखा जाएगा। उदाहरण के लिए गणित में रामानुजम, आर्यभट्ट, इंजीनियरिंग में विश्वेश्वरैया, वनस्पति विज्ञान में जे . सी . बोस आदि ।
4. सभी पाठ्यक्रमों की रेफरेंस लिस्ट में हिंदी लेखकों की पुस्तकें भी जोड़ी जाए, जिससे छात्रों को द्विभाषी पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके ।
5. स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा दिया जाए जिसके लिए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में रिसर्च ओरियेंटेशन को जोड़ा जाए तथा तृतीय वर्ष में प्रोजेक्ट वर्क रखा जाए ।
6. अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल 50-50% होना चाहिए ।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं राज्य समिति ने मैनेजमेंट विषय के विषय विशेषज्ञों के साथ अलग बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिससे मैनेजमेंट के विषय भी मल्टीडिसीप्लिनरी आधार पर बने तथा उनकी संरचना भी मूल विषयों के समान हो जाए ताकि छात्र आसानी से एक दूसरे के विषय चुन सकें।

अब्दुल समद
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या:- 65 /सत्तर-3-2021
लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4 कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6 कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
7 प्रो0 पूनम टण्डन, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8 प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9 डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, एसो0 प्रोफेसर, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
10 कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।